छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र

मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2007

तारांकित प्रश्नोत्तर

शासकीय वन भूमि एवं राजस्व भूमि में काबिज व्यक्तियों को पट्टा देने के संबंध में

1. (*क्र. 284) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 2005 के पूर्व शासकीय वन भूमि एवं राजस्व भूमि में खेती कर रहे एवं मकान बनाकर रह रहे व्यक्तियों हेतु केन्द्र शासन द्वारा पट्टा देने हेतु कोई निर्देश प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है. इस संबंध में अभी केन्द्र सरकार से निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

स्पंज आयरन/पावर प्लांटों का निरीक्षण

2. (*क्र. 249) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2007 के बाद उरला, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में किन-किन अधिकारियों/मंत्रियों ने किन-किन स्पंज आयरन/पॉवर प्लांट का निरीक्षण किया ? (ख) कंडिका "क" के निरीक्षण में किन-किन इकाईयों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये जिनमें पर्यावरण संरक्षण के मापदंडों का पालन होना नहीं पाया गया ? (ग) कंडिका "क" के क्षेत्रों में निर्धारित मापदण्ड से पर्यावरण प्रदूषण की हवा में मात्रा कितनी है और इसका मापन कब और किनके द्वारा किया गया ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) विवरण † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) कंडिका "क" के अनुक्रम में निम्नलिखित 6 ईकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही की गई :-

1. मे. अग्रवाल स्पंज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज-2
2. मे. एस. के. एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम सिलतरा, औद्योगिक क्षेत्र फेज-2
3. मे. पी. डी. इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा
4. मे. बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम सिलतरा
5. मे. सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट क्र. 96, 97, फेज-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा
6. मे. जी. आर. स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, प्लाट क्र. 102, फेज-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा.

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय के कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ द्वारा दिनांक 07-11-07 को औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा के फेज-1 एवं फेज-2 में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया. इनमें एस. पी. एम. की मात्रा क्रमशः 560 एवं 618 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई जो निर्धारित सीमा अर्थात् 500 माइक्रोग्राम/घनमीटर से अधिक हैं. उरला औद्योगिक क्षेत्र में नेशनल एम्बीयेंट एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत एक स्थान पर सप्ताह में दो दिन नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती हैं. माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 2007 में एस. पी. एम. की औसत मात्रा क्रमशः 265.83, 274.0, 304.23 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है, जो निर्धारित सीमा के भीतर हैं.

---

† परिशिष्ट "एक"

आदिमजाति, अनुसूचित जाति प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विकास कार्य

3. (*क्र. 235) **श्री चुरावन मंगेशकर :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बिलासपुर के विधान सभा क्षेत्र जरहागांव पथरिया में दिनांक 01-04-2004 से 31-10-2007 तक आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के द्वारा कितने "विकास कार्य" स्वीकृत किये गये हैं ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : जिला बिलासपुर का विधान सभा क्षेत्र जरहागांव/पथरिया सिर्फ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में आता है. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा इस विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01-04-2004 से 31-10-2007 तक 23 विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं.

राशन कार्ड के माध्यम से आवंटित चांवल

4. (*क्र. 314) **डॉ. चेतन वर्मा :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में लाल, पीला, केशरिया, बैगनी एवं स्लेटी रॉशन कार्डों की पृथक-पृथक संख्या नगरीय निकाय एवं ग्रामीण (विकासखण्डवार) बतायें. (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत 01 अप्रैल, 2007 से 31 अक्टूबर, 2007 तक प्रतिमाह भिन्न-भिन्न योजनाओं में आवंटित चांवल की मात्रा राशन कार्ड के अनुसार बतावें.

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

विभागीय शिक्षक एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण

5. (*क्र. 39) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में आदिमजाति कल्याण विभाग में कार्यरत कितने विभागीय शिक्षक एवं कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत हैं ? (ख) क्या आदिमजाति कल्याण विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण आदिमजाति कल्याण विभाग की अनुमति से दिये गये हैं ? (ग) यदि नहीं, तो क्या नियम विरुद्ध शिक्षा विभाग में स्थानांतरित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मूल विभाग में भेजने की कार्यवाही करेंगे ? (घ) यदि हां, तो कब तक ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) दुर्ग जिले में आदिमजाति कल्याण विभाग के 102 शिक्षक एवं 03 कर्मचारी शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत है. (ख) जी नहीं. (ग) जी हां. (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं.

मुख्यमंत्री खाद्यान्न तथा अन्त्योदय योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न सामग्री तथा निर्मित राशन कार्ड

6. (*क्र. 269) **श्री नोवेल कुमार वर्मा :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2007 से जांजगीर-चांपा जिले में बी. पी. एल., मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना एवं अंत्योदय योजना अंतर्गत कितनी-कितनी खाद्यान्न/मिट्टी तेल एवं अन्य सामग्रियों का आवंटन प्रदान किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें. (ख) बी. पी. एल. राशन कार्डों में से मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना एवं अंत्योदय खाद्यान्न योजना हेतु राशन कार्ड बनाये जाने के क्या-क्या निर्देश/अर्हता शासन द्वारा निर्धारित की गई है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" पर †† संलग्न है. (ख) राशनकार्ड †† संलग्न प्रपत्र "ब" के अनुसार बनाये गये हैं.

भवन विहीन छात्रावास एवं शालाओं हेतु भवन व्यवस्था

7. (*क्र. 73) **श्री बोधराम कंवर :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में कौन-कौन से आश्रम, छात्रावास, हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कौन-कौन सी संस्थाएं किराये के भवन या अन्य भवन में संचालित है ? (ग) भवन विहीन संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है तथा भवन निर्माण कब तक किया जाएगा ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) किराये के भवन में कोई भी संस्था संचालित नहीं है. ‡ संलग्न परिशिष्ट की समस्त संस्थाएं अन्य भवनों में संचालित है. (ग) बजट उपलब्धतानुसार भवन निर्माण के कार्य स्वीकृत किया जावेगा. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

† परिशिष्ट "दो" †† परिशिष्ट "तीन" ‡ परिशिष्ट "चार"

गोमर्डा अभ्यारण्य में वृक्षों की अवैध कटाई पर कार्यवाही

8. (*क्र. 341) **कु. कामदा जोल्हे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़ में वर्ष 2006-07 में कितने सागौन वृक्षों की अवैध कटाई की गई है ? (ख) अवैध कटाई के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं ? अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़ में वर्ष 2006-07 में 48 सागौन वृक्षों की अवैध कटाई की गई है. (ख) वर्ष 2006-07 में अवैध कटाई के 11 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अपराध प्रकरण (POR) जारी कर मौके पर उपलब्ध वनोपज को जप्त कर डिपो परिवहन कराया गया है. जांच दल एवं वन कर्मियों द्वारा वन प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ वनों की सतत् गश्ती कर अवैध कटाई पर समुचित नियंत्रण की कार्यवाई की जाती है.

हाई पावर कमेटी द्वारा जाति प्रमाणपत्रों की जांच

9. (*क्र. 253) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जाति प्रमाणपत्रों की छानबीन के लिए कार्यरत हाई पॉवर कमेटी को कौन-कौन से अधिकार है ? वर्तमान में कमेटी के पास कितने प्रकरण लंबित है ? (ख) 31 अक्टूबर 2007 तक हाई पॉवर कमेटी ने कितने प्रकरणों पर फर्जी जाति होने की पुष्टि की है ? क्या पुष्टि के आधार पर कार्यवाही की गई ? (ग) कंडिका "क" के कमेटी के अनुशंसा के बाद फर्जी प्रकरणों के कार्यवाही के क्या प्रावधान है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार जाति प्रमाणपत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति क्वासी जूडिशियल है. इसका कार्य जाति प्रमाणपत्रों का सत्यापन, फर्जी जाति प्रमाणपत्रों की जांच एवं निरस्तीकरण तथा फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के नियुक्ति को निरस्त करने हेतु नियोक्ता को अनुशंसा करना है. वर्तमान में कमेटी के पास 123 प्रकरण जांच प्रक्रियाधीन है. (ख) 31 अक्टूबर 2007 तक 60 फर्जी जाति प्रमाणपत्रों की पुष्टि की है. आरक्षित पदों पर नौकरी करने वालों के जाति प्रमाणपत्र निरस्त कर इनकी नियुक्ति निरस्त करने की अनुशंसा नियोक्ताओं को की गई है. (ग) कण्डिका "क" के कमेटी के अनुशंसा के बाद नियोक्ता/संबंधित के नियुक्ति/नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे.

तेन्दूपत्ता से प्राप्त राजस्व एवं लाभांश का वितरण

10. (*क्र. 316) **श्री उदय मुदलियार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-2008 में तेंदूपत्ता से कुल कितनी आय प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी देवें. (ख) तेन्दूपत्ता के लाभांश के रूप में वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008 में कितनी-कितनी राशि बांटी गई ? वर्षवार जानकारी देवें.

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) राज्य में वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008 (दिनांक 12-11-2007 तक) में कुल प्राप्त आय क्रमशः रुपये 14,405.61 लाख, रुपये 15,274.60 लाख, रुपये 14,302.30 एवं रुपये 9,822.46 लाख है. (ख) वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008 (दिनांक 12-11-2007 तक) में प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरित की गई राशि क्रमशः रुपये 3,464.85 लाख, रुपये 205.70 लाख, रुपये 4,019.28 लाख एवं रुपये 2,188.54 लाख है.

प्रदेश में आदिवासी छात्र-छात्राओं को खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु संचालित खेल परिसर

11. (*क्र. 60) **श्री लच्छुराम कश्यप :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु खेल परिसर संचालित है ? यदि हां, तो कितने ? (ख) क्या उक्त परिसर में रहने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों में गोल्ड मेडल या अन्य मेडल हासिल किया है ? यदि हां, तो कहां-कहां से, किन-किन छात्र-छात्राओं ने नाम कक्षा एवं ग्राम भी बतावें ? (ग) खेल परिसर में रहने वाले छात्र-छात्राओं को पौष्टिक आहार हेतु कितनी राशि दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी मासिक राशि ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जी हां. प्रदेश में विभाग द्वारा 07 बालक एवं 05 कन्या, इस प्रकार कुल 12 क्रीड़ा परिसर संचालित है. (ख) जी हां. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ग) प्रति छात्र-छात्राओं को पौष्टिक आहार हेतु राशि रुपये 60/- प्रतिमाह दी जाती है.

भूमिहीन हितग्राहियों को आवंटित भूमि

12. (*क्र. 326) **श्री रविन्द्रपाल सिंह भाटिया :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के राजस्व निरीक्षक मण्डल खुज्जी के अधीन आयबांधा में ग्रामों में भूमिहीन व्यक्तियों को कितनी-कितनी जमीन गत तीन वर्ष में आवंटित की गई ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश "ख" के अन्तर्गत नियम विरुद्ध अपात्र हितग्राहियों को भूमि आवंटित किये जाने की शिकायत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव को की गई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन जिले के राजस्व निरीक्षक मण्डल खुज्जी के अधीन आयबांधा ग्राम में भूमिहीन व्यक्तियों को विगत 3 (तीन) वर्षों में कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है. (ख) जी हां, प्रश्नांश (क) के तहत विगत 3 (तीन) वर्षों में कोई जमीन राजस्व विभाग द्वारा बंटित नहीं की गई है, इसलिये विगत 3 (तीन) वर्षों में अपात्र हितग्राहियों को भूमि आवंटन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती

13. (*क्र. 334) **श्री निर्मल सिन्हा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में अनु. जाति एवं जनजाति के कितने पद संवर्गवार रिक्त हैं ? रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : वन विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संवर्गवार निम्नानुसार पद रिक्त हैं :-

क्र.	संवर्ग	रिक्त पद	
		अ. जा.	अ. ज. जा.
1.	द्वितीय श्रेणी (राज्य वन सेवा)	3	4
2.	द्वितीय श्रेणी (वन क्षेत्रपाल)	4	4
3.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	99	367
4.	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	74	290
5.	चतुर्थ श्रेणी	4	28
	योग	**184**	**693**

द्वितीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राज्य लोक सेवा आयोग का प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं. लोक सेवा आयोग द्वारा चयन सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही जारी है.

स्पंज आयरन उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना

14. (*क्र. 345) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने स्पंज आयरन उद्योग स्थापित हैं ? कितने में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगा है, कितने में नहीं ? (ख) रायगढ़ जिले के किन-किन स्पंज आयरन उद्योगों में वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त हुई है ? प्रदूषण की जांच एक अप्रैल, 2006 से 31 अक्टूबर, 2007 तक किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब, कहां-कहां की गई है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) प्रदेश में कुल 87 स्पंज आयरन उद्योग स्थापित हैं. इन सभी उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित हैं. (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक के अनुसार हैं. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो के अनुसार हैं.

जिला जांजगीर-चांपा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र-छात्राओं की संख्या

15. (*क्र. 213) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला-जांजगीर-चांपा में वर्ष 2005-2006, 2006-2007 में कितने छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए पात्र पाया गया था, तथा कितनी राशि का वितरण प्रस्तावित थी एवं इसके विरुद्ध उक्त अवधि में कितनी राशि का वितरण किया गया ? बकाया राशि का वितरण कब तक कर दिया जायेगा ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : वर्ष 2005-06, 2006-07 में 330473 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए पात्र पाए गए थे तथा रुपये 1638.76 लाख का वितरण प्रस्तावित था जिसके विरुद्ध सम्पूर्ण राशि रुपये 1638.76 लाख का वितरित कर दिया गया है. वितरण हेतु राशि बकाया नहीं है, अत: समय बताये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

कोटवारों की जमीन बिक्री के संबंध में

16. (*क्र. 191) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 एवं 07-08 में रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखण्डों में कितने कोटवारों के द्वारा अपनी जमीन विक्रय हेतु जिलाध्यक्ष रायगढ़ के पास आवेदन किया गया है ? तहसीलवार संख्या बतावें. क्या जमीन विक्रय की अनुमति प्रदाय की गई है ? यदि हां, तो किन-किन को ग्राम एवं नाम बतावें ? (ख) क्या रायगढ़ जिला के खरसिया तहसील अंतर्गत कोटवारों के जमीन विक्रय संबंधी शिकायत उक्त अवधि में कलेक्टर रायगढ़ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो जांच एवं की गई कार्यवाही की जानकारी देवें ? (ग) क्या शासन द्वारा किसी प्रयोजन से कोटवारी जमीन अधिग्रहित की गई है ? यदि हां, तो ऐसे प्रकरण कितने हैं ? स्थान व क्षेत्र मात्रा बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र जा रही है.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में मंगल भवनों का निर्माण

17. (*क्र. 184) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छ. ग. शासन द्वारा प्रदेश में निवासरत अनु. जाति एवं अनु. जनजाति बाहुल्य ग्रामों में सुविधा की दृष्टि से मंगल भवन बनाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है ? (ख) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उक्त योजना के लिए चिन्हित किन-किन ग्रामों में मंगल भवन बन गया है ? कितने में निर्माणाधीन है एवं कितने में प्रस्तावित है, कृपया बतायें ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में मंगल भवन निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है. अनुसूचित जनजाति ग्रामों के लिए नहीं. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित ग्राम- मुड़पार (ब), कोसीर एवं ग्राम सोनादाह में मंगल भवन बन गये हैं. † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित शेष 28 ग्रामों में मंगल भवन निर्माणाधीन है. समस्त अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में मंगल भवन स्वीकृत किया जा चुका है. अत: कोई मंगल भवन प्रस्तावित नहीं है.

अनुबंध के अतिरिक्त धान उठाव पर मिलर्स के विरुद्ध कार्यवाही

18. (*क्र. 331) **मोहम्मद अकबर :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2006-07 में अनुबंध/आर्डर से अधिक बिना अनुमति धान उठाने वाले कस्टम मिलर्स कौन-कौन है तथा इन्होंने कितनी-कितनी मात्रा एवं राशि का अधिक उठाया है ? इन मिलर्स के विरुद्ध अलग-अलग क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : दुर्ग जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2006-07 में अनुबंध से अधिक 93 कस्टम मिलर द्वारा धान उठाया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर है. 03 राईस मिलर द्वारा डिलेवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान उठाव किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर है. बिना अनुमति फर्जी डी. ओ. के आधार पर धान उठाव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स "पर है. फर्जी डी. ओ. से धान उठाने के प्रकरणों में पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है. अनुबंध से अधिक धान का उठाव करने वाले तथा डिलेवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान का उठाव करने वाले सभी राईस मिलर्स को मार्कफेड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

डुबान/कटान से प्रभावित फसल तथा भूमि का मुआवजा

19. (*क्र. 14) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ताला (मनियारी नदी) में एनीकट का निर्माण कब हुआ है ? (ख) वर्ष 2007 के मानसून में उक्त एनीकट के डुबान में कितनी कृषि तथा अन्य भूमि कटकर नदी में सम्मिलित हो चुकी है ? ग्रामवार रकबावार, खसरा नम्बर सहित जानकारी दी जावे. (ग) क्या उक्त डुबान/कटान से प्रभावित फसल तथा भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्या कारण है ?

† परिशिष्ट "पांच "

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) ग्राम ताला (मनियारी नदी) में सिंचाई विभाग द्वारा एनीकट का निर्माण वर्ष 2006-07 में किया गया है. (ख) कुल 0.83 एकड़ कृषि भूमि. विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है. (ग) जी हां, फसल क्षति हेतु अनुदान सहायता राशि रु. 1670.00 का भुगतान कर दिया गया है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

ग्राम डेबी में निष्पादित कार्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

20. (*क्र. 337) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डेबी, विकासखण्ड कसडोल में 10.00 लाख की राशि के कार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं और जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच के उपरांत क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो, क्या ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : जी हां. जांच में शिकायत पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 आंशिक रूप से सही पाया गया. उसकी पूर्ति हेतु मौके पर परिक्षेत्राधिकारी, बारनवापारा को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं, शिकायत के शेष बिन्दु सही नहीं पाये गये.

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्य

21. (*क्र. 120) **श्री चन्द्रभान बारमते** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम कौन-कौन से हैं ? (ख) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के द्वारा इन ग्रामों में वर्ष 2007-08 में दिनांक 04-11-2007 तक की स्थिति में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति दी गई ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शाई गई है. (ख) मुंगेली विधान सभा क्षेत्र सिर्फ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में आता हैं. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2007-08 में दिनांक 04-11-2007 तक की स्थिति में स्वीकृत विकास कार्यों की ग्रामवार जानकारी निम्नानुसार है :-

1. नाली निर्माण ग्राम बरबसपुर (लोरमी)
2. मंच सह चबूतरा निर्माण ग्राम बरबसपुर (लोरमी)
3. सी. सी. रोड निर्माण ग्राम बरबसपुर (लोरमी)
4. विद्युत प्रकाश व्यवस्था ग्राम बरबसपुर (लोरमी)
5. सी. सी. रोड निर्माण भाग-1 ग्राम गजियानवागांव (मुंगेली)
6. सी. सी. रोड निर्माण भाग-2 ग्राम गजियानवागांव (मुंगेली)
7. पचरी निर्माण ग्राम गजियानवागांव (मुंगेली)
8. नाली निर्माण ग्राम गजियानवागांव (मुंगेली)
9. गली कांक्रीटीकरण ग्राम मानपुर (मुंगेली)
10. गली कांक्रीटीकरण ग्राम गुना (मुंगेली)
11. गली कांक्रीटीकरण ग्राम पलानसरी (मुंगेली).

वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्वीकृत राहत कार्य

22. (*क्र. 86) **श्री भूपेश बघेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रदेश के कौन-कौन से ब्लॉकों में सूखा घोषित किया गया ? वहां कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितने मानव दिवस के कार्य हुए ? (ख) शासन के द्वारा किन-किन तारीखों को राहत कार्य स्वीकृत किये गये ? राहत कार्य कब तक चलाया गया ? राहत राशि की स्वीकृति किन-किन तारीखों को किया गया ? तिथिवार बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) राज्य शासन द्वारा विकासखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है, जबकि तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रदेश के किसी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है. परन्तु खरीफ फसल 2006 की औसत आनावारी के आधार पर राज्य के 5 जिलों के 8 तहसीलों को दिनांक 20-2-2007 तथा 4 जिलों के 4 तहसील के 208 ग्रामों को दिनांक 14-3-2007 को सूखाग्रस्त घोषित किया जाकर रु. 1426.72 लाख का आवंटन जारी किया गया था एवं 8,66,081 मानव दिवस अर्जित किये गये हैं,

† परिशिष्ट "छः"   †† परिशिष्ट "सात"

कम वर्षा के कारण नजरी आंकलन के आधार पर कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़, बैकुण्ठपुर, सोनहत तथा बिलासपुर जिले की मरवाही, पेण्ड्रारोड इस प्रकार कुल 5 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही प्रचलित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. दिनांक 30-6-2007 तक. विवरण †संलग्न प्रपत्र "ब" में दिया गया है.

ब्लॉक स्तर पर नियुक्त रसोइया, चपरासी तथा सफाई कर्मियों के संबंध में

23. (*क्र. 353) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि जिला-बिलासपुर, जिला - कवर्धा के अंतर्गत आ. जा. क. विभाग द्वारा संचालित एवं नये स्वीकृत छात्रावासों, बालक, बालिका आश्रमों हेतु वर्ष 01 जनवरी, 2006 एवं 2007 में रसोइया, चपरासी एवं सफाई कर्मी के पद पर जिला स्तर के या ब्लॉक स्तर के आ. जा. क. विभाग के अधिकारियों के द्वारा नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो इस नियुक्ति के लिए चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं क्या इस चयन हेतु उच्चाधिकारियों से विधिवत् अनुमति प्राप्त की गई है ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्न (क) में पूछे गये पदों पर हुई नियुक्ति के बाबत् शिकायत होने पर विभाग के उच्चाधिकारियों ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने हेतु आदेश दिया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने किस दिनांक को क्या आदेश दिया है ? (ग) प्रश्न (क) में नियम विरुद्ध की गई नियुक्ति हेतु जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) बिलासपुर एवं कवर्धा जिले के आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एवं नये स्वीकृत छात्रावासों, बालक बालिका आश्रमों हेतु वर्ष 01 जनवरी 2006 एवं 2007 में रसोइया, जलवाहक तथा चौकीदार एवं सफाई कर्मी के पद पर जिला स्तर या ब्लॉक स्तर के विभागीय अधिकारियों के द्वारा नियुक्ति नहीं की गयी है. (ख) प्रश्नांक "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांक "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

भवन विहीन छात्रावास एवं आश्रम शालाओं हेतु भवन व्यवस्था

24. (*क्र. 285) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में आदिमजाति, अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास एवं आश्रम शालाएं भवन विहीन हैं, स्थान के नाम बतायें ? (ख) उक्त भवन विहीन छात्रावास एवं आश्रम शालाओं को क्या किराये के मकानों में संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रतिमाह कुल विभाग द्वारा देय किराया बतायें ? (ग) उक्त स्थानों में भवन कब तक बना लिया जावेगा ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) 50 छात्रावास एवं 04 आश्रम शालाएँ भवन विहीन हैं. स्थानों की सूची †† संलग्न परिशिष्ट पर हैं. (ख) केवल 45 छात्रावास एवं 04 आश्रम शालाएं किराये के भवन में संचालित है, प्रतिमाह रुपये 1,10,097.00 किराया देय है. (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

साल बीज तथा इमली बीज का उत्पादन एवं संग्रहण

25. (*क्र. 250) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर क्षेत्र में वर्ष 2006-2007 एवं वर्ष 2007-2008 में साल बीज एवं इमली का कितना-कितना उत्पादन हुआ, इसके संग्रहण एवं विपणन की क्या व्यवस्था थी ? (ख) कंडिका "क" में उल्लेखित अवधि में साल बीज का वितरण किन-किन इकाईयों को किया गया ? क्या इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई ? यदि हां , तो कब-कब और नहीं तो क्यों ? (ग) कंडिका "क" के वस्तुओं के लिए खरीदी मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) बस्तर क्षेत्र में वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में सालबीज का उत्पादन निम्नानुसार रहा :-

वर्ष	उत्पादन सालबीज (क्विंटल में)
2006-07	29393.480
2007-08	343827.495
योग	**373220.975**

† परिशिष्ट "आठ" †† परिशिष्ट "नौ"

अराष्ट्रीयकृत होने के कारण इमली के पूर्ण उत्पादन की जानकारी देना सम्भव नहीं है. सालबीज का संग्रहण विभिन्न प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया. सालबीज का निर्वर्तन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा निविदा/नीलाम आमंत्रित कर किया गया. इमली की अधिकांश मात्रा छोटे व्यापारियों द्वारा हाट-बाजार में क्रय कर मण्डी में विक्रय की जाती है. (ख) कंडिका "क" में उल्लेखित अवधि के सालबीज के क्रेताओं का विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" तथा आयोजित निविदाओं /नीलामों का विवरण † संलग्न प्रपत्र-"ब" में दर्शाया गया है. (ग) सालबीज की खरीदी मूल्य का निर्धारण विगत वर्षों में प्राप्त दर, सम्भावित बाजार भाव तथा संग्राहकों के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है. सीमित मात्रा में इमली खरीदी की दर लघु वनोपज संघ द्वारा स्थानीय बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है.

---

† परिशिष्ट "दस"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ''एक''

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 249) के भाग (क) की जानकारी]

औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सिलतरा स्थित स्पंज आयरन/पॉवर प्लांट इकाईयों में जुलाई, 2007 के बाद किये गये निरीक्षण के संबंध में जानकारी

क्रमांक (1)	उद्योग का नाम एवं पता (2)	निरीक्षण दिनांक (3)	निरीक्षणकर्ता (4)
1.	मे. त्रिमूला स्पंज आयरन प्रा. लि. चरौदा, सिलतरा, रायपुर (छ.ग.).	01-08-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ, वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
2.	मे. बलदेव एलॉयज प्रा.लि. ग्राम-सिलतरा, ब्लाक धरसींवा, रायपुर (छ. ग).	08-08-2007	वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		23-08-2007	रसायनज्ञ,
		19-09-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		26-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ,
		29-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ,
3.	मे. श्री नकोड़ा इस्पात प्रा. लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	09-08-2007	वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		25-09-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		17-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक
		27-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक
4.	मे. वासवानी इण्डस्ट्रीज लि. औ. क्षे. सिलतरा, रायपुर (छ. ग.).	09-08-2007	वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
5.	मे. ए.पी आई. इस्पात एंड पावरटेक प्रा. लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.)	09-08-2007	वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		25-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी
		29-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक
6.	मे. भगवती पावर एंड स्टील प्रा.लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	09-08-2007	वैज्ञानिक, रसायनज्ञ
		01-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		29-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		07-11-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
7.	मे. एस. के. एस. इस्पात लि. ग्राम-सिलतरा, औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ.ग.).	23-08-2007	रसायनज्ञ
		22-10-2007	मुख्य रसायनज्ञ, कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.

(1)	(2)	(3)	(4)
	मे. एस. के. एस. इस्पात लि. ग्राम-सिलतरा, औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ.ग.).	26-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		29-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		06-11-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
8.	मे. एस. के. सरावगी एंड कम्पनी प्रा. लि. औ.क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	23-08-2007	रसायनज्ञ
		30-08-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		10-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी
9.	मे. गगन रिसोर्सेज प्रा. लि. ग्राम-मुरेठी औ.क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	23-08-2007	रसायनज्ञ
10.	मे. पी. डी. इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	23-08-2007	रसायनज्ञ
		26-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		29-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
11.	मे. अग्रवाल स्पंज प्रा. लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	19-09-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		06-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		10-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		22-10-2007	मुख्य रसायनज्ञ, कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
12.	मे. जगदम्बा पावर एंड एलॉयज लि. मुरेठी सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	19-09-2007	क्षेत्रीय अधिकारी
13.	मे. देवी आयरन एंड पावर लि. ग्राम-टाडा, रायपुर (छ. ग.).	25-09-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
14.	मे. ड्रोलिया इलेक्ट्रो स्टील प्रा. लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	28-09-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
15.	मे. अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ग्राम-गिरौद, औ. क्षे. सिलतरा, फेज-1, रायपुर (छ. ग.).	28-09-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ, कनिष्ठ वैज्ञानिक रसायनज्ञ.
16.	मे. कार्पोरेट इस्पात एंड एलॉयज लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	28-09-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
17.	मे. रश्मि स्पंज एंड पावर इण्डस्ट्रीज लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	01-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
18.	मे. आलोक फेरोएलॉयज लि. (केप्टिव थर्मल पावर प्लांट डिवीजन)औ. क्षे. उरला रायपुर (छ.ग.).	03-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी
19.	मे. हीरा फेरोएलॉयज लि. केप्टिव थर्मल पावर प्लांट डिवीजन)औ. क्षे. उरला रायपुर(छ.ग.).	03-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	मे. जैन कार्बाइड एंड केमिकल्स लि. (केप्टिल थर्मल प्लांट डिवीजन) औ. क्षे. उरला रायपुर (छ.ग.).	03-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी
21.	मे. गोपाल स्पंज एंड पावर प्रा. लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	10-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी
22.	मे. सीता इस्पात एंड पावर प्रा. लि. बोरझरा रायपुर (छ. ग.).	13-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		02-11-2007	क्षेत्रीय अधिकारी
23.	मे. महेन्द्रा स्पंज एंड पावर प्रा. लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	13-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		15-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
24.	मे. एन.आर. स्पंज प्रा. लि. ग्राम-बहेसर सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	13-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		15-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
25.	मे. सारडा इनर्जी एंड मिनरल्स लि. (पूर्व नाम मे. रायपुर एलॉयज एंड स्टील लि.) औ. क्षे. सिलतरा, रायपुर (छ. ग.).	15-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
26.	मे. इंडसील इनर्जी एंड इलेक्ट्रो केमिकल्स लि. औ. क्षे. उरला रायपुर (छ. ग.).	17-10-2007	रसायनज्ञ
27.	मे. वंदना ग्लोबल प्रा. लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	17-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक
28.	मे. शिवालय इस्पात एंड पावर प्रा. लि. ग्राम-कारा, गुमा उरला रोड, रायपुर (छ. ग.).	22-10-2007	कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		02-11-2007	क्षेत्रीय अधिकारी
29.	मे. सुनील स्पंज प्रा. लि. प्लाट क्रमांक 96,97 औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	22-10-2007	मुख्य रसायनज्ञ, कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
		26-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		29-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
30.	मे. श्री हरेकृष्णा स्पंज आयरन प्रा. लि. औ. क्षे. सिलतरा, फेज-2, रायपुर (छ. ग.).	22-10-2007	मुख्य रसायनज्ञ, कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ.
31.	मे. जी. आर. स्पंज एंड पॉवर लि. प्लाट क्रमांक 102, फेज-2, औ. क्षे. सिलतरा, रायपुर (छ. ग.).	26-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.
		29-10-2007	क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य रसायनज्ञ.

परिशिष्ट ''दो''

[तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 314) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र ''अ''

दुर्ग जिले में में नगरीय निकाय एवं ग्रामीण (विकासखंडवार) लाल, पीला, केसरिया, बैंगनी एवं स्लेटी राशनकार्डों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड/नगरीय निकाय	केसरिया 35 किलो कार्ड	केसरिया 10 किलो कार्ड	पीला बी.पी.एल. कार्ड	बैंगनी अन्न पूर्णा कार्ड	लाल अन्त्योदय कार्ड	स्लेटी कार्ड	कुल कार्ड संख्या
		कार्ड संख्या	कार्ड संख्या	कार्ड संख्या	कार्ड संख्या	कार्ड संख्या	कार्ड संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	दुर्ग ग्रामीण	4881	2071	6396	258	3732	2864	20202
2.	धमधा-नगर पंचायत, धमधा	0	434	692	28	413	24	1591
	नगर पंचायत, अहिवारा	69	820	774	0	875	230	2768
	जनपद पंचायत, धमधा	5203	695	8616	226	3876	4820	23436
3.	पाटन-नगर पंचायत, पाटन	246	289	585	50	310	141	1621
	जनपद पंचायत, पाटन	7179	1770	3901	158	3796	4369	21173
4.	गुण्डरदेही नगर पंचायत, गुण्डरदेही	104	210	190	8	202	74	788
	जनपद पंचायत, गुण्डरदेही	7610	1432	4468	115	4696	4962	23283
5.	बालोद-नगर पालिका, बालोद	95	784	717	0	829	198	2623
	जनपद पंचायत, बालोद	2755	497	3184	103	2408	3927	12874
6.	गुरूर-नगर पंचायत, गुरूर	0	54	1	25	187	0	267
	जनपद पंचायत, गुरूर	2841	942	2295	117	3884	2486	12565
7.	डौंडी-नगर पंचायत, डौंडी	125	187	46	24	113	285	780
	नगर पालिका, दल्लीराजहरा	1145	79	1884	0	1540	1573	6221
	जनपद पंचायत, डौंडी	913	774	1673	119	2009	7079	12567
8.	डौंडी लोहारा-नगर पंचायत	506	227	76	7	121	75	1012
	जनपद पंचायत, डौंडी लोहारा	3051	878	3549	108	5044	7653	20283

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	साजा-नगर पंचायत, साजा	89	146	65	3	125	42	470
	नगर पंचायत, परपोडी	178	189	43	1	90	11	512
	नगर पंचायत, देवकर	130	173	75	5	83	26	492
	नगर पंचायत, थान खम्हरिया	12	327	460	12	115	79	1005
	जनपद पंचायत, साजा	5578	3222	4704	355	5797	2894	22550
10.	बेरला-नगर पंचायत, बेरला	14	204	87	6	131	63	505
	जनपद पंचायत, बेरला	6432	2026	7230	233	4491	3618	24030
11.	बेमेतरा-नगर पालिका, बेमेतरा	0	656	1516	0	138	699	3009
	जनपद पंचायत, बेमेतरा	5014	2682	7679	153	6146	5186	26860
12.	नवागढ़-नगर पंचायत, नवागढ़	92	289	131	6	343	87	948
	जनपद पंचायत, नवागढ़	5881	3549	6419	290	7360	5912	29411
13.	नगर निगम, दुर्ग	384	5141	8751	352	4942	2581	22151
14.	नगर निगम, भिलाई	5098	7456	15995	638	10051	6547	45785
15.	नगर पालिका, कुम्हारी	94	602	505	4	464	161	1830
16.	नगर पालिका भिलाई 3/चरोदा	143	1037	2428	43	966	308	4905
17.	नगर पालिका, जामुल	0	248	962	0	509	195	1914
	महायोग	65862	40090	96077	3447	75786	69169	350431

प्रपत्र "ब"

दुर्ग जिले में 01 अप्रैल, 2007 से 31 अक्टूबर 2007 तक प्रतिमाह भिन्न-भिन्न योजनाओं में आवंटित चावल की मात्रा राशनकार्ड के अनुसार

(मात्रा मे, टन में)

क्रमांक	माह का नाम	बी. पी. एल. राशनकार्ड पीला	अन्त्योदय राशनकार्ड लाल	अन्नपूर्णा राशनकार्ड बैंगनी	केसरिया 35 किलो राशनकार्ड	केसरिया 10 किलो राशनकार्ड	स्लेटी राशनकार्ड
		आवंटित चावल की मात्रा	आवंटित चावल की मात्रा	आवंटित चावल की मात्रा	आवंटित चावल की मात्रा	आवंटित चावल की मात्रा	आवंटित चावल की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अप्रैल, 2007	5500.00	2797.06	35.73	2975.00	500.00	3045.00
2.	मई, 2007	5500.00	2797.06	35.73	2975.00	500.00	3045.00
3.	जून, 2007	5500.00	2797.06	35.73	2975.00	500.00	3045.00
4.	जुलाई, 2007	2240.00	2797.06	35.73	1653.00	298.08	1832.00
5.	अगस्त, 2007	2526.00	2797.06	35.73	1676.00	318.14	1931.00
6.	सितम्बर, 2007	2526.00	2797.06	35.73	1676.00	318.14	1931.00
7.	अक्टूबर, 2007	2726.00	2797.06	35.73	2101.00	344.14	1931.00

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित संख्या 3 (क्र. 269) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

माह अप्रैल , 2007 से नवम्बर, 2007 तक आवंटन की जानकारी

(मात्रा क्विंटल/लीटर में)

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	आवंटित मात्रा			मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	शक्कर	नमक	मिट्टी तेल
		बी. पी. एल.		अन्त्योदय चावल				
		चावल	गेहूं					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	नवागढ़	18793.16	2109.42	12720.40	27818.65	2469.25	3662.69	1415006
2.	बम्हनीडीह	17097.74	1911.15	10994.20	24744.50	2314.83	3438.76	1036963
3.	अकलतरा	15559.80	1711.37	11446.40	36346.75	2654.45	3940.02	1029880
4.	बलौदा	14577.47	1630.75	13501.16	27908.00	2296.16	3412.96	953665
5.	पामगढ़	12254.13	1373.33	8660.40	24479.00	1912.03	2843.88	873431
6.	सक्ती	17470.76	1971.12	13258.00	28168.05	2623.69	3905.46	1036751
7.	मालखरौदा	10268.96	1097.13	14058.80	37260.30	2655.21	3938.73	1165549
8.	डभरा	21580.47	2451.03	16640.40	29996.75	2816.57	4189.04	1076339
9.	जैजैपुर	15357.19	1729.69	8142.40	29412.95	2207.24	3283.58	1084114
	योग	**142959.69**	**15985.00**	**109422.60**	**266134.95**	**21949.42**	**32615.12**	**9671698**

प्रपत्र "ब"

राशनकार्ड बनाने के निर्देश

(क) **पीला राशनकार्ड**-ग्रामीण क्षेत्रों में 2002 की गरीबी रेखा की सर्वे-सूची में सम्मिलित तथा शहरी क्षेत्रों में 1997 की गरीबी रेखा की सर्वे-सूची में सम्मिलित गैर अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों को जो अन्नपूर्णा अथवा अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड धारी नहीं है.

(ख) **लाल राशनकार्ड**-अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत किसी भी ग्राम/नगर के 38. 34 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों के लिए . पहले के सभी गुलाबी राशनकार्ड धारियों को यह कार्ड दिए गए है.

(ग) **बैंगनी राशनकार्ड**-अन्नपूर्णा योजना के हितग्राहियों के लिए तथा दाल-भात केन्द्रों के लिए, पहले के सभी पीले राशनकार्ड धारियों को यह कार्ड दिए गए है.

(घ) **हरा राशनकार्ड**-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों, आश्रमों के लिए.

(ड.) **केसरिया राशनकार्ड**-यह कार्ड मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजनांतर्गत निम्नानुसार जारी किये गये हैं :-

(एक) ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्ड वर्ष 1991 अथवा 1997 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित ऐसे नीले राशन कार्डधारी गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति परिवारों को दिये गए हैं जिनके नाम ग्रामीण क्षेत्रों की वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित नहीं है, तथा जो अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा राशनकार्डधारी नहीं है.

(दो) शहरी क्षेत्रों में यह कार्ड वर्ष 1991 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित ऐसे नीले राशनकार्डधारी गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति परिवारों को दिये गये हैं, जिनके नाम शहरी क्षेत्रों की वर्ष 1997 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित नहीं है, तथा जो अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा राशनकार्डधारी नहीं है.

(च) **स्लेटी राशनकार्ड**-यह कार्ड निम्नलिखित को जारी किये गये हैं :-

(एक) ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में वर्ष 1991 अथवा वर्ष 1997 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची के आधार पर पूर्व के नीला राशनकार्डधारी ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड नहीं है.

(दो) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची के आधार पर बी. पी. एल. राशनकार्डधारी की पात्रता रखने वाले ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अन्त्योदय अथवा अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड नहीं है.

(तीन) विशेष पिछड़ी जनजातियों के समस्त परिवारों को जिनके नाम किसी भी वर्ष की गरीबी रेखा की सर्वेक्षण सूची में हो अथवा न हो, तथा जिन्हें अन्नपूर्णा अथवा अन्त्योदय योजना के राशन कार्ड नहीं मिले हैं.

(छ) **10 किलोग्राम सीमा वाला केसरिया राशनकार्ड**-यह कार्ड भी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जारी किये गये हैं. यह कार्ड राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे हितग्राहियों को दिये गये हैं जो नीले रंग के बी.पी. एल., गुलाबी रंग के अन्त्योदय अथवा पीले रंग के अन्नपूर्णा राशनकार्डधारी नहीं है.

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित संख्या 7 (क्र. 73) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

कोरबा जिले में भवन विहीन संस्थाओं की जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	भवन विहीन संस्था का नाम (3)
1.	पाली	1 प्रीमैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चैतमा
		2 प्रीमैट्रिक बालक छात्रावास सिल्ली
		3 प्रीमैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोरबी (धतुरा)
		4 आदिवासी बालक आश्रम राहा
		5 आदिवासी कन्या आश्रम हरदी बजार
		6 आदिवासी बालक आश्रम उड़ता
		7 आदिवासी बालक आश्रम जेमरा
		8 आदिवासी बालक आश्रम सपलवा
		9 हाईस्कूल नोनबिर्रा
		10 हाईस्कूल परसदा
		11 हाईस्कूल नूनेरा
		12 हाईस्कूल बतरा
		13 उच्चतर माध्यमिक शाला चैतमा
		14 उच्चतर माध्यमिक शाला पोड़ी लाफा
		15 उच्चतर माध्यमिक शाला उतरदा
2.	करतला	1 प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोथारी
		2 प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास फत्तेगंज
		3 प्रीमैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास करतला
		4 आदिवासी कन्या आश्रम मदवानी
		5 हाईस्कूल बोतली
		6 हाईस्कूल फत्तेगंज
3.	कोरबा	1 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास गोढ़ी
		2 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कुदुरमाल
		3 आदिवासी कन्या आश्रम सतरेंगा
		4 आदिवासी कन्या आश्रम धनगांव
		5 आदिवासी बालक आश्रम चुईया
		6 हाईस्कूल कन्या अरगा
		7 हाईस्कूल कन्या भैसमा

क्रमांक (1)	विकासखण्ड नाम (2)	भवन विहीन संस्था का नाम (3)
4.	कटघोरा	1 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कटघोरा
		2 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अरदा
		3 आदिवासी बालक आश्रम श्याहीमुड़ी
		4 आदिवासी बालक आश्रम मोगरा
5.	पोड़ीउपरोड़ा	1 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सिंघिया
		2 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पोड़ीउपरोड़ा
		3 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोरबी
		4 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पसान
		5 आदिवासी बालक छात्रावास जल्के
		6 आदिवासी बालक छात्रावास लैगा
		7 आदिवासी कन्या छात्रावास पोड़ीउपरोड़ा
		8 आदिवासी बालक आश्रम पोड़ीउपरोड़ा
		9 आदिवासी कन्या आश्रम लैगा
		10 आदिवासी कन्या आश्रम पाली
		11 आदिवासी कन्या आश्रम तुमान
		12 आदिवासी बालक आश्रम मटई
		13 आदिवासी बालक आश्रम अरसिया
		14 हाईस्कूल कन्या पसान
		15 हाईस्कूल तुमान
		16 हाईस्कूल मदई

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 184) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र पामगढ़ में मंगल भवन की जानकारी

क्र.	चिन्हांकित ग्राम का नाम
(1)	(2)
1.	मेहन्दी
2.	मुड़पार (ब)
3.	कोसीर
4.	हिर्री
5.	मिलौनी
6.	बोरसी
7.	भदरा
8.	पचरी
9.	सिर्री
10.	लगरा
11.	पामगढ़
12	सिंगुलडीह
13.	मुड़पार
14.	केसला
15.	कोड़ाभाट
16.	धनगांव
17.	खैराडीह
18.	डुड़गा
19.	चेऊडीह
20.	कुटराबोड
21.	झिलमिली
22.	हेड़सपुर
23.	महका
24.	रोझनडीह
25.	सोनादाह
26.	पचरी
27.	कोटिया
28.	हरदी (हिर्री)
29.	बरभाठा
30.	करमंदी
31.	नकटीडीह

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 14) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र. (1)	हितग्राही का नाम (2)	ग्राम का नाम (3)	खसरा नं. (4)	प्रभावित रकबा (5)	अनुदान सहायता राशि (6)
1.	श्री बैसाखू	सलफा	494/1	0.10 एकड़	रु. 200.00
2.	श्री बैसाखू	सलफा	500/1	0.28 एकड़	रु. 565.00
3.	श्री बरातू	सलफा	496/1	0.25 एकड़	रु. 505.00
4.	श्री मनटुरा	सलफा	499/2	0.10 एकड़	रु. 200.00
5.	श्रीमती सानिया बाई	सलफा	499/3	0.10 एकड़	रु. 200.00
			योग	0.83 एकड़	रु. 1670.00

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 120) के भाग (क) की जानकारी]

मुंगेली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की जानकारी

क्रमांक (1)	विधान सभा क्षेत्र (2)	विकासखण्ड (3)	ग्राम पंचायत (4)	ग्राम का नाम (5)
अ. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम :—				
1.	मुंगेली	मुंगेली	बांकी	तुलसीकांपा
2.			चिरहुला	लोकाईपुर
3.			रेहुटा	कांमता
ब. अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम :—				
1.	मुंगेली	मुंगेली	डब्रहा	कोलिहाडीह
2.			दुल्लापुर (सो)	सोनपुरी/मोतिमपुर/खम्हरिया
3.			छाता	छाता/पतालकुण्डी
4.			बैहाकापा	बैहाकापा
5.			अमलीडीह	जगरहडा/मोहतरा
6.			सुरदा	ठाकुरकापा
7.			मानपुर	मानपुर/पलानसरी
8.			चमारी	टिंगीपुर
9.			बांकी	शीतलकुण्डा
10.			चातरखार	गजियानवागांव
11.			दाबो	बहरपुर
12.			दामापुर	चमारी/जुझारभाठा
13.			भरूवागुड़ा	भरूवागुड़ा/बुचीपारा/चिचेसरा
14.			सेमरकोना	गाड़ापाठ
15.			सेतगंगा	गोरखपुर
16.			राजपुर	राजपुर/रजपालपुर/केहरपुर/सनकपाट
17.			केशलीकला	केशलीकला/लालपुर
18.			सिंगारपुर	दुल्लापुर/सारंगपुर
19.			नागोपहरी	नागोपहरी/तालम/झिटकनिया/किंगरियापारा
20.			भीमपुरी	भीमपुरी/चुचरूंगपुर/उस्लापुर/मानपुर
21.			सिल्ली	बेहरसरी/मुसउनवागांव
22.			विचारपुर	विचारपुर/सोनपुरी
23.			जल्ली	जल्ली/कंचनपुर
24.			झलियापुर	अचानकपुर
25.			लक्षनपुर (अ)	लक्षनपुर (अ)/अनंतपुर/सिंघनपुरी
26.			नारायणपुर	नारायणपुर/केशलीकला
27.			हरियरपुर	हरियरपुर/बोधीपारा
28.			तरवरपुर	बैहाकापा/ठाकुरकापा/उदका
29.			निरजाम	डौकीदह
30.			लिलवाकापा	लिलवाकापा/रामाकापा/हेड़सपुर
31.			कोहड़िया	कोहड़िया/रजपूरा
32.			सिंगबांधा	गुना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	मुंगेली	मुंगेली	धपई	खलखोरवा
34.			लखनपुर (कि)	लखनपुर (कि)
35.			नवागांव (चि)	जमहा/मामा
36.			खलौदी	मझगांव
37.			रेहुटा	रेहुटा
38.		लोरमी	फुलवारीकला	फुलवारीकला
39.			खरमपुर	गाड़ापारा/कलमीडीह
40.			उजियारपुर	रतियापारा/बरियारपुर
41.			पेण्ड्रीतालाब (बो)	पेण्ड्रीतालाब (बो)/बंधवा/बरबसपुर
42.			बघमार	बघमार/गातापार
43.			सिंघनपुर	मानिकपुर/बंशापुर

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 86) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2007-08 में स्वीकृत राहत कार्यों का विवरण

क्रमांक (1)	जिला (2)	स्वीकृति तिथि (3)
1.	कोरबा	19-03-2007
		20-03-2007
		27-05-2007
2.	रायपुर	17-05-2007
3.	दुर्ग	12-03-2007
		14-03-2007
		05-05-2007
		10-05-2007
		12-05-2007
		24-05-2007
		09-06-2007
		11-06-2007
		13-06-2007
		18-06-2007
		21-06-2007
		23-06-2007

प्रपत्र "ब"

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक (1)	जिला (2)	जारी दिनांक (3)	आवंटित राशि (3)
1.	रायपुर	7-3-2007	75.84
2.	दुर्ग	7-3-2007	113.76
3.	कबीरधाम	7-3-2007	113-76
4.	कोरबा	7-3-2007	113.76
5.	कोरिया	7-3-2007	75.84
6.	दुर्ग	12-3-2007	5.00
7.	दुर्ग	30-04-2007	410.00
8.	कोरबा	30-04-2007	113.76
9.	बिलासपुर	30-04-2007	100.00
10.	दुर्ग	22-05-2007	5.00
11.	रायपुर	25-5-2007	150.00
12.	दुर्ग	8-6-2007	100.00
13.	रायगढ़	8-6-2007	50.00
		योग	**1426.72**

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 285) के भाग (क) की जानकारी]

रायपुर जिले में विभाग द्वारा संचालित भवन विहीन छात्रावास एवं आश्रम के नाम एवं स्थान

क्र. (1)	छात्रावास एवं आश्रम का नाम (2)	स्थान (3)
1.	पोस्ट मेट्रिक परियोजना छात्रावास	सुंदरनगर
2.	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास (परियोजना)	रायपुर
3.	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बलौदाबाजार
4.	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	कसडोल
5.	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	कसडोल
6.	प्री.मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	कसडोल
7.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	असनौद
8.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	बिलाईगढ़
9.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	भाटापारा
10.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	भाटापारा
11.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	भौंली सिंगारपुर
12.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	तिल्दा
13.	प्री.मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	तिल्दा
14.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	हथबंद
15.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	सिमगा
16.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	सिमगा
17.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	मैनपुर
18.	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	मैनपुर
19.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	अमलीपदर
20.	पोस्ट मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	छुरा
21.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	छुरा
22.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	रुवाड़
23.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	रसेला
24.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	फूलकरा
25.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बिन्द्रानवागढ़
26.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	पीपरछेड़ी
27.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	देवभोग
28.	प्री. मेट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास	फिंगेश्वर
29.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	अभनपुर
30.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बेन्द्री
31.	नवीन पो. मे. आदिवासी बालक छात्रावास	डंगनिया रायपुर
32.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बोंरसी
33.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	पुरगांव
34.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	चांदन
35.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	दुल्ला
36.	प्री. मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास	बया
37.	पोस्ट मेट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास	बलौदाबाजार

(1)	(2)	(3)
38.	पोस्ट मेट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास	सिमगा
39.	पोस्ट मेट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास	भाटापारा
40.	प्री. मेट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास	धरसींवा
41.	प्री. मेट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास	धरसींवा
42.	प्री. मेट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास	सिवनी
43.	प्री. मेट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास	टुण्ड्री
44.	प्री. मेट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास	कोयदा
45.	प्री. मेट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास	गाताडीह
46.	प्री. मेट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास	दामाखेड़ा
47.	प्री. मेट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास	भाटापारा
48.	प्री. मेट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास	पण्डरीपाली
49.	प्री. मेट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास	धारसींव
50.	प्री. मेट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास	भटगांव
51.	आदिवासी संयुक्त आश्रम	परसदा खुर्द
52.	आदिवासी संयुक्त आश्रम	तौरेंगा
53.	आदिवासी संयुक्त आश्रम	मौहाभाठा
54.	आदिवासी बालक आश्रम	कुरजायबहाल

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 250) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बस्तर क्षेत्र के सालबीज के क्रेताओं के विवरण

वर्ष 2006-2007

क्रमांक	संस्थान का नाम
1.	मेसर्स प्रणव इन्टरनेशनल C/o श्री मलयदास, सी-17, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)
2.	मे. फूड फैट्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लि., ताड़ेपल्लीगुड़म, जिला वेस्ट गोदावरी (आ. प्र.)
3.	मे. एक्जोटिक फैट्स एक्जिम, मालवीय पथ, रायपुर (छ. ग.)
4.	मे. प्रोड्यूसिन प्रा. लि., मण्डी रोड, महासमुन्द (छ. ग.)
5.	मे. चारभुजा ट्रेडिंग एण्ड एजेंसी (प्रा.) लि., रिंगरोड नं.-2, नियर जोतु कोल्ड स्टोरेज, गोंदवारा रोड, रायपुर (छ. ग.)

वर्ष 2007-2008

क्रमांक	संस्थान का नाम
1.	मेसर्स प्रोग्रेसिव एक्जिम लि., शान्तिसदा, 1-मैदान पथ, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ. ग.)
2.	मे. मधु फर्टिलाइजर्स लि., 22-दुर्गा कॉलेज काम्प्लेक्स, प्रथम मंजिल, रायपुर (छ. ग.)
3.	मे. प्रोड्यूसिन प्रा. लि., मण्डी रोड, महासमुन्द (छ. ग.)
4.	मे. फूड फैट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., ताड़ेपल्लीगुड़म, जिला वेस्ट गोदावरी (आ. प्र.)

प्रपत्र "ब"

सालबीज के विक्रय हेतु आयोजित निविदाओं/नीलामों का विवरण

वर्ष 2006-07

क्र.	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	निविदा/नीलाम	निविदा/नीलाम की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2006/1 दिनांक 30-03-2006	निविदा	25-04-2006
2.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2006/2 दिनांक 28-04-2006	--,,--	08-05-2006
3.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2006/3 दिनांक 15-05-2006	--,,--	24-05-2006
4.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2006/4 दिनांक 31-05-2006	--,,--	07-06-2006
5.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2006/5 दिनांक 28-06-2006	--,,--	06-07-2006
6.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2006/6 दिनांक 11-08-2006	नीलाम	05-09-2006
7.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2006/7 दिनांक 06-09-2006	--,,--	22-09-2006
8.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2006/8 दिनांक 25-09-2006	--,,--	17-10-2006
9.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2006/9 दिनांक 19-10-2006	--,,--	15-11-2006

वर्ष 2007-08

1.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2007/1 दिनांक 15-03-2007	निविदा	10-04-2007
2.	अधिसूचना क्रमांक/संघ/सा. बी./2007/2 दिनांक 24-04-2007	निविदा	03-05-2007